(*At this stage, some hon. Members left the Chamber.*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Just a minute, please. Hon. Members, the notices under Rule 267 have not been permitted. If the hon. Members so desire, they may submit notices under any other parliamentary device for the consideration of the hon. Chairman. Thank you. Hon. Member, please continue.

डा. सिकंदर कुमारः आदरणीय उपसभापति महोदय, जिला चंबा की पांगी घाटी का मुख्यालय चंबा है और यहां आने-जाने में लोगों को वर्षों से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पांगी से चंबा आने के लिए, 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित साच पास होते हुए आना पड़ता है। अत्यधिक बर्फबारी के कारण यह रास्ता साल के चार-पांच महीने ही खुला रहता है और बाकी समय पांगीवासियों को वाया जम्मू, लाहौल-स्पीति, अटल टनल, मनाली-कुल्लू होते हुए आना पड़ता है, जोकि 500-700 किलोमीटर लंबा रास्ता है और जिससे लोगों का समय और पैसा दोनों ही अधिक लगता है तथा दूसरी ओर, साच पास से बर्फ हटाने में हर साल सरकार के करोड़ों रुपए भी खर्च हो जाते हैं। ऐसे में यदि चैहणी जोत से सुरंग का निर्माण कर पांगी को चंबा मुख्यालय से जोड़ दिया जाता है, तो पांगी घाटी के लोगों को जिला मुख्यालय चंबा आने-जाने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और जिला मुख्यालय चंबा, पांगी से 12 महीने जुड़ा रहेगा तथा पांगी के लोगों को भी मुश्किल भरे जीवन से राहत मिलेगी।

आदरणीय उपसभापति जी, पांगीवासियों की यह मांग आज की नहीं है, बल्कि यहां के लोग पिछले 50 वर्षों से इस मांग के पूरा होने की राह देख रहे हैं। हमारी सरकार ने अटल टनल बनाकर लाहौलवासियों के जीवन को बेहतर बनाने का कार्य किया है, इसलिए मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार पांगीवासियों की भी इस चिरलम्बित मांग को पूरा कर, पांगी घाटी के समस्त जनजातीय लोगों को राहत प्रदान करेगी, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Sikander Kumar (Himachal Pradesh): Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shri Babubhai Jesangbhai Desai (Gujarat), Sh. Brij Lal (Uttar Pradesh), Shri Sanjay Seth (Uttar Pradesh), Dr. Laxmikant Bajpayee (Uttar Pradesh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri Samik Bhattacharya (West Bengal).

Demand for stringent legislation to eradicate superstitious practices

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY (Punjab): Sir, I rise to draw your attention to a growing menace that is exploiting the trust and faith of vulnerable and innocent people, namely, superstition, black magic and fraudulent practices in the name of miracles. This issue is particularly rampant in the parts of north and central India,

including Punjab, where fraudulent individuals prey upon innocent people by misguiding them with the false claims of supernatural abilities and luring them for conversion. ...(*Interruptions*)...

SHRI K. VANLALVENA: Sir, I am sitting here for Zero Hour.

श्री विक्रमजीत सिंह साहनीः उपसभापति महोदय, ये लोग धर्म परिवर्तन के नाम पर बीमारियों को ठीक करने, बुरी आत्माओं को भगाने, पुत्र प्राप्ति, विदेश जाने के असत्य वादे करके, झांसा देकर लोगों को फँसाते हैं। गाँवों में रहने वाले गरीब और कम पढ़े-लिखे लोग इनके चंगुल में आसानी से फंस जाते हैं। कई बार तो ये लोगों को डरा-धमका कर या छल से उनको धर्म बदलने के लिए मजबूर करते हैं। इससे न केवल परिवार बिखर जाते हैं, बल्कि इससे महिलाओं और बच्चों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। यह स्थिति हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक है। ये लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए समाज में डर, भय और असत्य फैलाते हैं। यह हमारे देश की एकता और भाईचारे के लिए बहुत बड़ा खतरा है।

महोदय, महाराष्ट्र ने काले जादू और अंधविश्वास तथा miracles के खिलाफ कानून बनाकर एक अच्छी मिसाल पेश की है। अब समय आ गया है कि हम पूरे देश में ऐसे सख्त कानून लाएँ, जो न केवल अंधविश्वास को रोके, बल्कि ऐसा कोई भी अंधविश्वास, जादू या चमत्कार, जो धर्म परिवर्तन की तरफ प्रेरित करे, उसे रोके। इसके लिए कोई लेजिस्लेशन लाया जाए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे पर तुरंत कदम उठाए और इन गलत प्रथाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें, जहां अंधविश्वास, शोषण और धर्म परिवर्तन के लिए कोई स्थान नहीं हो। हमें भोले-भाले लोगों को जागरूक करना होगा और उन्हें इस शोषण से बचाना होगा।

I urge the Government to take immediate steps to criminalise these sinister practices leading to religious conversions and ensure justice. Let us work towards an enlightened progressive society free from superstition and exploitation and conversions. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Vikramjit Singh Sahney : Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shri Samik Bhattacharya (West Bengal), Shri Mission Ranjan Das (Assam), Dr. K. Laxman (Uttar Pradesh), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Shri Pradip Kumar Varma (Jharkhand), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shri Ghanshyam Tiwari (Rajasthan), Shri Rameswar Teli (Assam), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Sujeet Kumar, (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala).

I will call you. Mr. Vanlalvena, please wait for a minute. Now, Leader of the House, Shri J.P. Nadda, wants to say.

REGARDING NOTICES RECEIVED UNDER RULE 26- *Contd.*

सभा के नेता (श्री जगत प्रकाश नड्डा): सर, मैं आपके माध्यम से सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि माननीय सदस्य सुबह-सुबह हाउस में रूल 267 के तहत नोटिस दे देते हैं और आपने एक बार नहीं, अनेकों बार चेयरमैन साहब ने 8 दिसंबर, 2022 और 19 दिसंबर, 2022 को जो रूलिंग दी हैं, उन रूलिंग और नियम को ध्यान में रखते हुए रूल 267 के तहत दिए गए नोटिसेज़ को रिजेक्ट किया है। यह जो प्रथा है, यह कहीं-न-कहीं विपक्ष के द्वारा institution को डैमेज करने का कुत्सित प्रयास है। It is a vicious design to demean the institution of Parliament. They are not interested in debate; they want to give an impression that the Government does not want to answer or enter into a debate. The Government under Prime Minister, Shri Narendra Modi, is ready to discuss anything under this roof; whatever can be discussed, but there are certain rules, there are certain regulations. कुछ नियम और कानून होते हैं, जिनके तहत बहस होती है। अभी अगले 10 दिनों तक बजट के हर विषय पर डिस्कशन होना है। हम लोग उस डिस्कशन के लिए तैयार हैं। उसमें सबको बहुत मौका मिलने वाला है। इनकी संख्या के अनुसार इनको जितना मौका मिलना है, वह इनको मिलेगा। There is a provision for Short Duration Discussion. There is a provision for long duration discussion. ये नियम पढ़ते नहीं हैं। I was the Leader of Opposition in Himachal Pradesh Vidhan Sabha and, during their regime, I had also got the award of best legislator. आप कानून तो पढ़ना सीखिए, चर्चा करना तो सीखिए। विपक्ष का यह गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है और यह देश के सामने इस institution को, भारतीय संसद को malign करने का तरीका है। मैं चाहूँगा कि including the Leader of the Opposition, इनका एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। They should go for a refresher course. They should understand the rules and regulations. Then, they should come and the Government is ready to discuss anything. हम किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसलिए, मैं विपक्ष के वॉकआउट की घोर निन्दा करता हूँ और इसको गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार मानता हूँ। आगे इनको सुबुद्धि मिले - ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।

मैं देश को यह बताना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली हमारी सरकार हर प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। हम अपने घर में सारी चीजों को करने के लिए तैयार हैं, चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri K. Vanlalvena.